भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 738

26 जून, 2019 को उत्तर के लिए

रक्षा उत्पादन

738. श्री रोड़मल नागरः

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

श्री देवजी एम. पटेलः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश को एक रक्षा उत्पादन केन्द्र बनाने के लिए आज तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किस रक्षा और हथियार प्रणाली का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सैन्य उपकरणों और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए विदेश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में दिनांक 26.06.19 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 738 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख)

(i) आयुध निर्माणियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने हमारे देश को रक्षा उत्पादन का केन्द्र बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की है । हमारे देश में 41 आयुध निर्माणियां एवं 09 डीपीएसयू हैं जिनका प्रत्येक वर्ष रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 58,000 करोड़ रू. से अधिक का योगदान है । सरकार आयुध निर्माणियों एवं डीपीएसयू को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए सहायता करती है । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने वर्ष 2018-19 में 45,776 करोड़ रू. का टर्नओवर प्राप्त किया जो अब तक किसी डीपीएसयू का अधिकतम टर्नओवर है । सार्वजनिक क्षेत्र के चार रक्षा उपक्रमों यथा हिंदुस्तान एयरोनाटिकल लि. (एचएएल), भारत इलैक्ट्रानिक्स लि. (बीईएल), मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लि.(एमडीएल)और भारत अर्थमूवर्स लि. (बीईएमएल) ने वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक टर्नओवर का रिकार्ड बनाया है ।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रधानमंत्री की कार्यसूची के एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को वर्ष 2022-23 तक उनके टर्नओवर का 25 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है । इसके अतिरिक्त, उन्हें 2022-23 तक 15,000 करोड़ रू. मूल्य के सामानों का स्वदेशीकरण करने का लक्ष्य दिया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संबंधित परियोजनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है ।

(iii) आयुध निर्माणी बोर्ड को सुदृढ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैः-

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान आयुध निर्माणियों के पूंजीगत उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए 861 करोड़ रू. के 15 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है ।

(ख)ओएफबी में भंडार मदों की अधिप्राप्ति में सुधार लाने के लिए 2018-19 के दौरान ओएफबी अधिप्राप्ति मैनुअल को संशोधित किया गया है । ओएफबी से बड़ी मात्रा में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ओएफबी के सदस्य के अधीन निर्यात प्रभाग की शुरूआत की गई है और ओएफबी के सदस्य (निर्यात) को वर्धित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

(ग) आयुध निर्माणी, आवड़ी के 494 कामगारों को नए ट्रेडों में रोजगार के लिए पुनः कौशल प्रदान किया जा रहा है ।

2. सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुसरण में रक्षा उत्पादन में पर्याप्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) को 2016 में संशोधित किया गया है जिसमें घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट प्रावधान लागू किए गए हैं ।

ii. रक्षा उपस्कर के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने हेतु डीपीपी-2016 में अधिप्राप्ति की नई श्रेणी 'खरीदो {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित)}' की शुरूआत की गई है । इसे पूंजीगत उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । इसके अलावा, 'खरीदो (वैश्विक)' और खरीदो एवं बनाओ (वैश्विक)' श्रेणियों के बजाए पूंजीगत अर्जन की 'खरीदो (भारतीय)' और 'खरीदो एवं बनाओ(भारतीय)' श्रेणियों को वरीयता प्रदान की गई है ।

iii. सरकार ने ' सामरिक साझेदारी (एसपी) माडल' अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें वे प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठबंधन करेंगे ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें ।

iv. 'बनाओ' प्रक्रिया को सरलीकृत बनाया गया है जिसमें भारतीय उद्योग के लिए 90% विकास लागत का वित्त-पोषण सरकार द्वारा करने और 10 करोड़ रूपए (सरकार द्वारा वित्त-पोषित) और 3 करोड़ रूपए (उद्योग द्वारा वित्त-पोषित) से अनधिक विकास लागत वाली परियोजनाओं को एमएसएमई के लिए आरक्षित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं ।

v. 'बनाओ-II' उप श्रेणी हेतु अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है जिसमें अनेक पर्यावरण हितैषी प्रावधान जैसे पात्रता मानदंड में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्ति द्वारा स्वतः सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रावधान इत्यादि लागू किए गए हैं । आज की तारीख तक 36 प्रस्तावों को बनाओ II के अंतर्गत उद्योग द्वारा विकास के लिए 'सिद्धांत रूप' में अनुमोदन दिया गया है ।

vi. सरकार ने देश में आर्थिक विकास और रक्षा उदयोग आधार की वृद्धि के इंजन के रूप में कार्य करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाने का निर्णय लिया है । ये तमिलनाडु में चैन्ने, होसुर, कोयम्बटूर, सालेम और तिरूचिरापल्ली तक फैले हुए हैं और उत्तरप्रदेश (उ.प्र.) में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ तक फैले हैं ।

vii. अप्रैल, 2018 में रक्षा के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष (आईडीईएक्स) शीर्षक से एक नवोन्मेष पारिप्रणाली शुरू की गई है । आईडीईएक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषकों, रक्षा और विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एअरोस्पेस में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिप्रणाली का सृजन करना है और उन्हें अनुदान/निधीयन अन्य सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे रक्षा और अनुसंधान कर सकें जिसकी भारतीय रक्षा और एअरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना है ।

viii. मंत्रालय ने 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' नाम से एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया है जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में आईपीआर संस्कृति को बढ़ावा देना है ।

ix. सरकार ने घटकों और रक्षा प्लेटफार्मों में प्रयुक्त स्पेयर्स के स्वदेशीकरण के लिए मार्च 2019 में एक नई नीति अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य एक उद्योग पारिप्रणाली का सृजन करना है जो महत्वपूर्ण घटकों (एलोएज और विशेष सामग्रियों) के स्वदेशीकरण और भारत में विनिर्मित रक्षा उपकरण और प्लेटफार्म के लिए सब-असेम्बली में सक्षम हो ।

x. क्षेत्र में निवेश हेतु अवसरों, प्रक्रिया और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के साथ-साथ सभी आवश्यक सूचना मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने रक्षा निवेश प्रकोष्ठ का सृजन किया है ।

xi. एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है और संशोधित नीति के अनुसार, 49 प्रतिशत तक एफडीआई के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई सरकारी मार्ग के जरिए अनुमत है ।

xii. आईडीआर अधिनियम के तहत औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से रक्षा उत्पाद सूची को संशोधित किया गया है और अधिकांश घटकों, हिस्सों, उप-प्रणालियों, परीक्षण उपस्करों, उत्पादन उपकरणों को सूची से हटा दिया गया है ताकि उद्योग के लिए, विशेषकर, लघु और मध्यम प्रकृति के उद्योग में प्रवेश करने में आ रही बाधाओं को कम किया जा सके । आईडीआर अधिनियम के तहत मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष तक किया गया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि उसे मामला-दर-मामला आधार पर आगे 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकेगा ।

xiii. निर्यात स्वीकृति प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाया गया है और पारदर्शी तथा आनलाइन किया गया है ।

xiv. भारतीय आफसेट भागीदारों (आईओपी) और आफसेट घटकों यहां तक कि हस्ताक्षरित संविदाओं में परिवर्तन की अनुमति देकर आफसेट दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है । विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को अब संविदाओं पर हस्ताक्षर करते समय आईओपी और उत्पादों का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है । 'सेवाओं' को एक आफसेट अवसर के रूप में पुनः इनस्टेट किया गया है ।

xv. सरकार ने अनुदानों के प्रावधान के जरिए सार्वजनिक/निजी उद्योगों विशेष रूप से एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि(टीडीएफ) की स्थापना की है ताकि रक्षा अनुप्रयोगों के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने हेतु एक पारि-प्रणाली सृजित की जा सके ।

(ग) और (घ) : किसी बाहरी देश को उपकरण और सेवाओं का निर्यात किसी विशेष समय पर उनकी विशिष्ट आवश्यकता पर निर्भर करता है और यह सैन्यबलों और अन्य हितधारकों की सहमति लेने के पश्चात किया जाता है । मित्र देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चैनलों का प्रयोग किया जाता है ।

रक्षा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोनों ओर से एक सिंगल प्वाइंट आफ कान्टेक्ट अभिज्ञात किया गया है । रक्षा निर्यात भी द्विपक्षीय विचार-विमर्श और वार्ताओं के एक महत्वपूर्ण भाग हैं । रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए लाइंस ऑफ क्रेडिट का भी प्रयोग किया जा रहा है ।

लोक सभा में दिनांक 26.06.19 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 738 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

उन परियोजनाओं की स्थिति जिनको एआईपी अनुमोदित की गई है

क्रम सं.	**स्टेशन मुख्यालय**	**परियोजना का नाम**
1.	वायुसेना	चाफ एंड फलेअर्स
2.	वायुसेना	इन्फ्रारेड इमेजिंग सर्च एवं ट्रैक प्रणाली(आईआरएसटी)
3.	वायुसेना	एडवांसड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर(एएसपीजे)पॉडस और रडार वार्निंग रिसीवर
4.	वायुसेना	फोल्डऐबल फाइबर ग्लास मेट (एफएफएम)फार रेपिड रनवे मरम्मत
5.	वायुसेना	बोम्ब के लिए एरियल फ्यूज
6.	वायुसेना	125 केजी बोम्ब (एकिन टू एमके-81 बोम्ब)-स्वप्रेरणा
7.	वायुसेना	ग्राउंड राकेटस के लिए 70 एमएम एअर
8.	वायुसेना	एअर बीवीआर मिसाइल के लिए लांग रेंज एअर
9.	वायुसेना	फाइटर एअर क्राफ्ट के लिए आन बोर्ड आक्सीजन जेनरेशन सिस्टम (ओबीओजीएस)
10.	वायुसेना	मिराज 2000 एअरक्राफ्ट के लिए विंग ड्राप टैंक
11.	वायुसेना	इनफ्लेटेविल डेकोय
12.	सेना	टी-72 और टी-90 टैंक के लिए 125 एमएम एपीएफएसडीएस
13.	सेना	असाल्ट ट्रैक वे -सी। 24
14.	सेना	एमईएटी (मनेवरेबल एक्सपेनटेविल एरियल टारगेट)
15.	सेना	एजीएस-30 स्वप्रेरणा के लिए नाइट फाइटिंग कंट्रोल सिस्टम
16.	सेना	155 एमएम टर्मिनली गाइडेड म्यूनीशन (टीजीएम)
17.	सेना	120एमएम एक्सटेंडिड रेंज (ईआर) गाइडेड मोर्टार एम्यूनिशन
18.	सेना	ऑगमेंटेड रीयल्टी (एआर)आधारित हेड माउटेंड डिस्प्ले सिस्टम
19.	सेना	फ्यूल सेल बेसड बैटरी चार्जर
20.	सेना	'ए' वाहनों के लिए रेक्टीफायर सह एक्यूमुलेटर
21.	सेना	तृतीय पीढ़ी एटी जीएम प्रणाली- स्वप्रेरणा से
22.	सेना	प्री-फ्रेगमेंटेड प्रोग्रामेबल प्राक्सीमिटी फ्यूज्ड एम्यूनिशन
23.	सेना	आरपीएएस सिमुलेटर - स्वप्रेरणा से

24.	सेना	जीपीएस/जीआईएस आधारित माइनफील्ड रिकार्डिंग सिस्टम
25.	सेना	मल्टीरोल प्रीसीजन किल सिस्टम- स्वप्रेरणा से
26.	सेना	ओग्जीलरी पावर यूनिट
27.	सेना	बीएमपी-2/2 के अपग्रेड- स्वप्रेरणा से
28.	नौसेना	इफेक्टर्स फार एंटी-टारपीडो काउंटर मेजर सिस्टम
29.	नौसेना	डीपीसी साइड स्केल सोनार टोइंग विंच
30.	नौसेना	अपर एअर साउडिंग सिस्टम (यूएएसएस)
31	नौसेना	यूनिवर्सल क्षमता सहित 76-127 एमएम एम्युनिशन के लिए 76/62 एसआरजीएम हेतु प्राक्जिमिटी, डीए और ग्रेज फ्यूज
32.	नौसेना	कवच राकेटस एलआरसीआर (लांग रेंज चैफ राकेटस) के लिए चैफ पेलोडस, एमआरसीआर (मीडियम रेंज चैफ राकेटस)
33.	नौसेना	डिजीटल बीम फोरमिंग आधारित सैटेलाइट टीवी
34.	नौसेना	थ्री फेज इन्वर्टस
35.	नौसेना	एक्सपेंडेबल अंडर वाटर टारगेट
36	नौसेना	हाई स्पीड लो फ्लाइंग टारगेट

*****